

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1979/माघ 11, 1900
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1979/MAGHA 11, 1900

इस भाग में प्रमुख पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, मातृशिक्षा और सहकारिता संचालक

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. : 10-आई टी सी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1979

आपात व्यापार निबंधन

विषय : स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

[मिसरा सं. 12/4/78-ई.पी.जी.]—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई-टीसी (पीएन)/79 दिनांक 1 जनवरी, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि 31 जनवरी, 1979 को या इससे पूर्व उपर्युक्त

योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम, उस पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 620/- रु. होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात्, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि फरवरी, 1979 महीने के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत रिहाई आवेश धारकों को जिस कीमत पर सोना बचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम, उस पर लागू किसी भी स्थानीय करों को छोड़कर 680/- रु. (छः सौ अस्सी रुपए मात्र) होगी।

का. नं. शंषाद्वि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 10-ITC(PN)/79

New Delhi, the 31st January, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

SUBJECT : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme

[F. No. 12/4/78-EPC].—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/79 dated the 1st January 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India on or before the 31st January, 1979 would be Rs. 620 for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India during the month of February 1979 would be Rs. 680 (Rupees six hundred and eighty only) for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports